भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 2865
गुरुवार, 8 अगस्त, 2024/17 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

शिमोगा विमानपत्तन पर रात्रि में विमान उतारने संबंधी सुविधा

2865. श्री बी.वाई.राघवेन्द्र:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को शिमोगा विमानपत्तन पर रात्रि में विमान उतारने संबंधी सुविधा का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और
(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग): रात्रि लैंडिंग सुविधा का प्रावधान पूर्ण रूप से एयरलाइनों की मांग और परिचालन आवश्यकताओं पर आधारित है और यह समय-समय पर हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा भूमि की उपलब्धता, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, सामाजिक-आर्थिक सरोकारों, यातायात की मांग/एयरलाइनों की ऐसे हवाईअड्डों से परिचालन करने की इच्छा आदि के आधार पर किया जाता है। वर्तमान में शिवमोगा हवाईअड्डे को सार्वजनिक उपयोग श्रेणी के अंतर्गत डे-विजुअल फ्लाइट रूल (वीएफआर) प्रचालन के लिए लाइसेंस प्राप्त है। एयरोड्रोम को वीएफआर (विजुअल फ्लाइट रूल) से आईएफआर (इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल)/रात्रि लैंडिंग श्रेणी में अद्यतित करने के लिए, एयरोड्रोम को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना अपेक्षित है:

(i) एयरोनॉटिकल ग्राउंड लाइटिंग प्रणाली स्थापित करना और उसका प्रचालन आरंभ करना, अर्थात रनवे एज लाइट, एप्रोच लाइट, थ्रेशोल्ड लाइट, टैक्सीवे लाइट, एप्रन फ्लड लाइट आदि।

(ii) दिक्चालन सहायक एवं उपकरण एप्रोच और लैंडिंग (आईएएल) प्रक्रियाओं का संस्थापन और उसका प्रचालन आरंभ करना।

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने शिवमोगा हवाईअड्डे पर एयरोनॉटिकल ग्राउंड लाइटिंग प्रणाली स्थापित करने के लिए अनुमोदन दे दिया है, तथापि, डीजीसीए को दिक्चालन सहायक और आईएएल (इंस्ट्रूमेंट एप्रोच एंड लैंडिंग) प्रक्रियाओं की स्थापना/शुरुआत करने के लिए कोई प्रस्ताव या अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

******